10.1.2018 वकुलाये फरीकैन उपस्थित । बहस विद्वान अभिभाषक गणो की सुनी गई ।

पु. क्र. 22/17

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण/प्रतिवादी सं0-1 से 7 ने अदालत मातहत में दावा घोषणार्थ एवं बंटवारा का पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 351 रकबा 2.11 हैक्टर राजस्व ग्राम मण्ड्रेला एवं ख0नं0 87 रकबा 3.91 हैक्टर राजस्व ग्राम महती की ढाणी वादीगण एवं प्रति--वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमियां हैं । जिनका वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर बंटवारा किया जाकर अलग खाता कायम किया जावे । अदालत मातहत ने वादीगण का दावा बाद सुनवाई स्वीकार कर लिया । जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है।अपीलान्ट एवं रेस्पो0 के खातेदारी काश्तकारी टीनेन्सी की पैतृक भूमि वाके ग्राम मण्ड्रेला में ख0नं0 351 रकबा 2.11 हैक्टर अपीलान्ट एवं रेस्पोंडेन्ट के पूर्वजों की पैत्रिक भूमि है रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 7 ने अदालत मातहत में झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट के खातेदारी टीनेन्सी पैतृक हकों से वंचित करते हुये एक दावा पेश किया जिसमें अपीलान्ट को पक्षकार नहीं बनाया । अदालत मातहत ने रेस्पोंडेन्ट संख्या-1 से 7 के झूठे तथ्यों के आधार पर दावा विधि विरूद्ध स्वीकार कर डिक्री कर दिया ।अपीलान्ट ने यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद एवं धारा-96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय [illegible] निरस्त किया जाकर प्रकरण रिमाण्ड किया जावे ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आशा देवी केदार प्र.क्रं. 22/17

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई । विद्वान अभिभावकगण उभयपक्षों ने अपील को स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निवेदन किया ।प्रकरण में उभयपक्षों के निवेदन पर अपील अपीलान्ट स्वीकार करना उचित मानते हैं । रेस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभावक ने भी कोई ऐतराज नहीं किया तथा अपीलान्ट को अदालत मातहत में पक्षकार नहीं बनाया गया जिसके कारण अपीलान्ट की अपील में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद में शुमार की जाकर प्रार्थना पत्र धारा-96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत उप खण्ड अधिकारी चिडावा का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28-5-2005 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वह दावे में अपीलान्ट को पक्षकार बनाकर सुनवाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का उभयपक्षों को समुचित अवसर देते हुये अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 23-2-18 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया । 11/1/18 (भंवरलाल मेहरड़ा) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर	